भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*104
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

'स्वामित्व' योजना का कार्यान्वयन

***104. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:**
डॉ. मल्लू रवि:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले तथा तेलंगाना में गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त राज्यों में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक आवंटित और व्यय की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त राज्यों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्मिलित गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों की संख्या से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(घ) भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) स्वामित्व योजना को समय पर पूरा करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा संपत्ति के अधिकार, वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाओं की सुलभता के मामले में ग्रामीणों को कितना फायदा हुआ है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(क) से (घ) गांवों में बसे हुए आवासीय संपत्तियों के मालिकों को मान्यता प्राप्त 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के राजस्व एवं पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग(सर्वे ऑफ़ इंडिया) का एक सहयोगी प्रयास है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है।

6 फरवरी 2025 तक, स्वामित्व योजना लागू करने के लिए 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ़ इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है। इनमें से सिक्किम, तमिलनाडु एवं तेलंगाना राज्यों ने केवल पायलट तौर पर ही भाग लिया है और केवल कुछ गांव में ही इसको लागू किया किया है. अब तक इस योजना के तहत 3.18 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया गया है और

1.59 लाख गांवों के लिए 2.38 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत कवर किए गए गांवों की संख्या और तैयार किए गए संपत्ति कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

आंध्र प्रदेश ने, 8 दिसंबर 2020 को स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ़ इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, और 6 फरवरी 2025 तक, सभी 13,321 अधिसूचित गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है। राज्य सरकार ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के लिए संपत्ति कार्ड के प्रारूप को अंतिम रूप दे रही है। तिरुपति जिले में सभी 1045 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अनुबंध-II में आंध्र प्रदेश का जिलेवार विवरण संलग्न है।

तेलंगाना ने, स्वामित्व योजना को केवल पायलट तौर पर 5 गांवों में लागू करने के लिए 19 अप्रैल 2022 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ़ इंडिया) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन 5 गांवों – अरली (खुर्द) (आदिलाबाद जिला), गोडुमाकुंटा (मेडचलमलकाजगिरी जिला), सरस्वतीगुडा (रंगा रेड्डी जिला), घनपुर (जनगांव जिला), और डोमाकोंडा (कामरेड्डी जिला) – में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और सत्यापन के लिए नक्शे राज्य सरकार को सौंप दिए जा चुके हैं । इसके बाद, राज्य ने न तो इन गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार करने के लिए कोई कार्रवाई की है और न ही इस योजना को राज्य में आगे बढ़ाया है।

इस योजना के तहत, ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मान चित्रण (लार्ज स्केल मैपिंग) के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को फण्ड दिया जाता है. इसके साथ ही योजना को ऑनबोर्ड करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निरंतर परिचालन संदर्भ स्टेशन (कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रिफरेन्स स्टेशन) स्थापित करने के लिए भी फण्ड दिया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया को अब तक जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रिफरेन्स स्टेशन स्थापित करने के लिए	₹ 116.54 करोड़
ड्रोन सर्वेक्षण के द्वारा लार्ज स्केल मैपिंग के लिए	₹ 249.53 करोड़

मंत्रालय स्तर पर राष्ट्रीय परियोजना निगरानी इकाई (नेशनल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट) की स्थापना एवं कार्यान्वन के लिए और स्थानिक योजना अनुप्रयोग (Spatial Planning Application) अर्थात 'ग्राम मानचित्र' पोर्टल एवं स्वामित्व डैशबोर्ड /पोर्टल और अन्य तकनीकी और सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं में वृद्धि का समर्थन करने के लिए नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC) को भी अब फण्ड जारी किया जाता है. अब तक इस घटक में ₹ 35 करोड़ की धनराशि नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर को जारी की गई है।

इसके अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना, शिक्षा और संचार (इनफार्मेशन, एजुकेशन एवं कम्युनिकेशन) गतिविधियों के लिए और राज्य परियोजना निगरानी इकाइयों (स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट) की स्थापना के लिए भी फण्ड दिया जाता है। स्वामित्व योजना की शुरुआत से अब तक इन घटकों के तहत आंध्र प्रदेश को 26.7 लाख रुपये जारी किए गए हैं। तेलंगाना ने आईईसी और एसपीएमयू के लिए फंड देने का अनुरोध नहीं किया है।

(ङ) स्वामित्व योजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से मार्च 2025 तक ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करने और मार्च 2026 तक ग्रामीण अबादी क्षेत्रों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार करने की उम्मीद है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. सभी हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं ताकि मुद्दों की पहचान हो और उन्हें तुरंत संबोधित किया जाता है।
ii. व्यापक निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर से पंचायत स्तर तक चार स्तरीय निगरानी प्रणाली।
iii. ऑनलाइन डैशबोर्ड (SVAMITVA.nic.in) द्वारा पर ग्राम-स्तरीय प्रगति को अपडेट करना ताकि

उसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा सके।

iv. मंत्रालय सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "हैंडहोल्डिंग" सहायता प्रदान करता है।

स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए आबादी क्षेत्रों का सीमांकन शामिल है एवं योजना का उद्देश्य इन ग्राम अबादी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों के लिए अधिकारों के रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड तैयार करना है। यह योजना संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण के रूप में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति कार्ड प्रदान करके संपत्ति मुद्रीकरण और संस्थागत ऋण/बैंक ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, संपत्ति विवादों को कम करती है/निपटाने में मदद करती है, और व्यापक गांव-स्तरीय योजना बनाने में सहायता प्रदान करती है, जो अंततः ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत में योगदान देती है।

***

अनुबंध-I

ड्रोन सर्वेक्षण और तैयार संपत्ति कार्ड की राज्य/ संघ राज्य-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित	ड्रोन उड़ान	संपत्ति कार्ड तैयार किए गए गांवों की संख्या	तैयार किये गये संपत्ति कार्डों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7,409
2	आंध्र प्रदेश	13,321	13,321	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	5,596	3,399	0	0
4	असम	1,074	946	0	0
5	छत्तीसगढ़	15,791	15,791	1,200	67,751
6	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	80	80	75	4,397
7	दिल्ली	31	31	0	0
8	गोवा	410	410	410	6,72,646
9	गुजरात	15,052	13,949	7,237	12,28,586
10	हरियाणा	6,260	6,260	6,260	25,15,646
11	हिमाचल प्रदेश	15,196	13,870	238	5,395
12	जम्मू और कश्मीर	4,431	4,398	1,006	39,204
13	झारखंड	757	240	0	0
14	कर्नाटक	30,715	16,855	3,763	10,03,991
15	केरल	1,415	597	0	0
16	लद्दाख	230	230	148	15,623
17	लक्षद्वीप द्वीप समूह	10	10	0	0
18	मध्य प्रदेश	43,014	43,014	33,929	39,94,343
19	महाराष्ट्र	37,819	37,609	15,708	24,41,286
20	मणिपुर	3,856	209	0	0
21	मिजोरम	550	319	27	2,909
22	ओडिशा	3,054	2,724	43	1,500
23	पुदुचेरी	96	96	92	2,801
24	पंजाब	12,083	10,458	178	24,089
25	राजस्थान	36,352	35,721	13,310	8,61,986
26	सिक्किम*	1	1	0	0
27	तमिलनाडु*	3	3	0	0
28	तेलंगाना*	5	5	0	0
29	त्रिपुरा	893	19	893	5,71,783
30	उत्तर प्रदेश	90,573	90,573	67,408	1,01,31,232
31	उत्तराखंड	7,441	7,441	7,441	2,78,229
	कुल	**3,46,183**	**3,18,765**	**1,59,507**	**2,38,70,806**

अनुबंध-II

दिनांक 06.02.2025 तक आंध्र प्रदेश में स्वामित्व योजना के पूरा होने की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	ज़िला	अधिसूचित गांव	पूर्ण ड्रोन सर्वेक्षण वाले गांव
1	अलुरी सीताराम राजू	2	2
2	अनकापल्ली	671	671
3	अनंथापुरमु	503	503
4	अन्नमय्या	457	457
5	बापतला	277	277
6	चित्तूर	782	782
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर कोनासीमा	310	310
8	पूर्वी गोदावरी	268	268
9	एलुरु	572	572
10	गुंटूर	173	173
11	काकीनाडा	405	405
12	कृष्ण	495	495
13	कुरनूल	456	456
14	नांदयाल	447	447
15	एनटीआर	300	300
16	पलनाडु	349	349
17	पार्वतीपुरममन्यम	558	558
18	प्रकाशम	792	792
19	श्रीकाकुलम	1,352	1,352
20	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	713	713
21	श्री सत्य साईं	416	416
22	तिरुपति	1,045	1,045
23	विशाखापत्तनम	85	85
24	विजयनगरम	950	950
25	पश्चिमी गोदावरी	295	295
26	वाईएसआर	648	648
	कुल	**13,321**	**13,321**

कृपया ध्यान दें कि कोई संपत्ति कार्ड तैयार नहीं किया गया है क्योंकि राज्य द्वारा संपत्ति कार्ड के प्रारूप को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

***